संख्या– 5662/1–10–2008–12(34)/2003

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 05 दिसम्बर, 2008

विषयः– वर्ष 2008–09 में ओलावृष्टि के पूरक यथा–अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ओलावृष्टि के पूरक यथा– अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु सार्वजनिक उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने व जरूरत मद लोगों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु श्री राज्यपाल प्रदेश की प्रत्येक तहसील में रू. 50,000/– अलाव के लिए तथा रू. 1,50,000/– कम्बल वितरण के लिए अर्थात कुल धनराशि रू. 6,24,00,000/– (रूपये छः करोड़ चौबीस लाख मात्र) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. <u>अलाव की व्यवस्था :</u>

(अ) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।

(ब) अलाव जलाने पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र अलाव के जलाने के स्थल, दिन की संख्या, लकड़ी के कय की रसीद कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2. <u>कम्बल की व्यवस्था :</u>

(अ) प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जा रहे शासनादेश में निर्धारित मानक दरों एवं संस्था से कम्बल का कय किया जाय।

A.Coldwave-Blanket-08

(ब) क्रय किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2.2 कि0ग्रा0 का होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(स) उक्त इंगित गुणवत्ता का कम्बल लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्धारित मानक दरों के अनुरूप किया जाय। सम्बन्धित संस्था द्वारा कम्बल की आपूर्ति प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर की जायेगी। कम्बल पहुचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(द) जिलाधिकारी आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल का एक–एक मानक सैम्पुल मुख्यालय पर रखेगे, जिसका वितरण कदापि नहीं किया जायेगा, ताकि कम्बल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

(य) लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्धारित कोई संस्था निर्धारित संख्या/निर्धारित समय में कम्बल की आपूर्ति नहीं कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जाय तथा उसकी आपूर्ति अन्य संस्था से प्राप्त की जायेगी।

(र) लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्धारित कम्बल आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम तथा कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित होगा कि यह कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क निराश्रितों को वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री योग्य नहीं है।

(ल) निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाये कम्बल का क्रय एवं वितरण शीघ्रता एवं तत्परता से किया जाए ताकि जरूरत मन्द व्यक्तियों को समय से यह सुविधा अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु प्राप्त हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(व) कम्बल के क्रय पर व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र और कम्बल वितरण अधिकारी का नाम व पदनाम सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(श) निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की

प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार, अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं को तथा नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरूष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के कम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक–15.12.2008 तक चिन्हित कर लिया जाय। दिनांक 25 दिसम्बर 2008 तक प्राप्त कम्बलो को कैम्प लगाकर वितरित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जाय। कम्बल वितरण के समय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।

3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2245–के प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

4. शासन द्वारा आवंटित शीत लहर की धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें <u>**दिनांक 25 मार्च, 2009 तक**</u> शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

5. अलाव व कम्बल मद में व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश सख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारुप में आपदा का प्रकार ओलावृष्टि के अन्तर्गत कमांक–14 "शरणार्थी कैम्प पर व्यय" मद में अलग–अलग कॉलम में अलाव जलाने व कम्बल पर व्यय हुई धनराशि को अंकित किया जाय।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि संभावित शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने व निःशुल्क कम्बल वितरण के दायित्वों की पूर्ति के लिए है। इस धनराशि का उपयोग विगत वर्षो के दायित्वों तथा अन्य मदों पर व्यय की अनुमन्यता नहीं है।

7. कृपया आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा–जोखा वित्तीय नियमों के अनुसार रखा जाए तथा व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय साथ ही आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

<u>संलग्नकः–स्वीकृति धनराशि की जनपदवार सूची</u>

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या– 5662 (1)/1–10–2008–12(34)/03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री/प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/ 11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की जनपदवार धनावंटन पत्रावली संख्यामें रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।

वर्ष 2008–09 में सम्भावित अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से बचाव के लिए निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु शासनादेश संख्या– 5662/1–10–2008–12(34)/2003, दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 का संलग्नक।

क्रम	जनपद का नाम	तहसील	मद		कुल स्वीकृत धनराशि (4 + 5)
			अलाव	कम्बल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आगरा	6	300000	900000	1200000
2.	अलीगढ़	5	250000	750000	1000000
3.	एटा	3	150000	450000	600000
4.	फिरोजाबाद	4	200000	600000	800000
5.	हाथरस	4	200000	600000	800000
6.	मैनपुरी	3	150000	450000	600000
7.	मथुरा	4	200000	600000	800000
8.	इलाहाबाद	8	400000	1200000	1600000
9.	फतेहपुर	3	150000	450000	600000
10.	कौशाम्बी	3	150000	450000	600000
11.	प्रतापगढ़	5	250000	750000	1000000
12.	आज़मगढ़	7	350000	1050000	1400000
13.	बलिया	6	300000	900000	1200000
14.	मऊ	4	200000	600000	800000
15.	बरेली	6	300000	900000	1200000
16.	बदायूँ	6	300000	900000	1200000
17.	पीलीभीत	3	150000	450000	600000
18.	शाहजहाँपुर	4	200000	600000	800000
19.	बस्ती	4	200000	600000	800000
20.	सन्तकबीरनगर	3	150000	450000	600000
21.	सिद्धार्थनगर	5	250000	750000	1000000
22.	बाँदा	4	200000	600000	800000
23.	चित्रकूट	2	100000	300000	400000
24.	हमीरपुर	4	200000	600000	800000
25.	महोबा	3	150000	450000	600000
26.	बहराइच	4	200000	600000	800000
27.	बलरामपुर	3	150000	450000	600000
28.	गोण्डा	4	200000	600000	800000
29.	श्रावस्ती	2	100000	300000	400000
30.	अम्बेडकरनगर	5	250000	750000	1000000

12(34) 2003

5

31.	बाराबंकी	6	300000	900000	1200000
32.	फैजाबाद	5	250000	750000	1000000
33.	सुलतानपुर	7	350000	1050000	1400000
34.	देवरिया	5	250000	750000	1000000
35.	गोरखपुर	7	350000	1050000	1400000
36.	कुशीनगर	4	200000	600000	800000
37.	महाराजगंज	4	200000	600000	800000
38.	झाँसी	5	250000	750000	1000000
39.	जालौन	5	250000	750000	1000000
40.	ललितपुर	3	150000	450000	600000
41.	औरैया	2	100000	300000	400000
42.	इटावा	5	250000	750000	1000000
43.	फर्रूखाबाद	3	150000	450000	600000
44.	कानपुर देहात	5	250000	750000	1000000
45.	कानपुर नगर	3	150000	450000	600000
46.	कन्नौज	3	150000	450000	600000
47.	हरदोई	5	250000	750000	1000000
48.	लखनऊ	4	200000	600000	800000
49.	लखीमपुर खीरी	6	300000	900000	1200000
50.	रायबरेली	7	350000	1050000	1400000
51.	सीतापुर	6	300000	900000	1200000
52.	उन्नाव	5	250000	750000	1000000
53.	बागपत	3	150000	450000	600000
54.	बुलन्दशहर	7	350000	1050000	1400000
55.	गौतमबुद्धनगर	3	150000	450000	600000
56.	गाजियाबाद	4	200000	600000	800000
57.	मेरठ	3	150000	450000	600000
58.	मिर्जापुर	4	200000	600000	800000
59.	संतरविदास नगर	3	150000	450000	600000
60.	सोनभद्र	3	150000	450000	600000
61.	बिजनौर	5	250000	750000	1000000
62.	ज्योतिबाफुलेनगर	3	150000	450000	600000
63.	मुरादाबाद	6	300000	900000	1200000
64.	रामपुर	6	300000	900000	1200000
65.	मुजफ्फरनगर	6	300000	900000	1200000
66.	सहारनपुर	5	250000	750000	1000000
67.	चन्दौली	3	150000	450000	600000
68.	गाजीपुर	5	250000	750000	1000000
69.	जौनपुर	6	300000	900000	1200000

12(34) 2003

6

70.	वाराणसी	2	100000	300000	400000
71.	कांशीराम नगर	3	150000	450000	600000
	कुल योग	312	15600000	46800000	62400000
		(रूपये छः करोड़ चौबीस लाख मात्र)			

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव